



UPBJ010060932026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी- (प्रशांत मित्तल) (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP6174

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2358/2026

बिल्लू उर्फ दिलशाद व रिजवान बनाम उ०प्र० राज्य

दिनांक 10-07-2026

प्रार्थी-अभियुक्त बिल्लू उर्फ दिलशाद व रिजवान की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 236/2017, अन्तर्गत धारा 120बी भा०दं०सं०, थाना कोतवाली शहर, जिला बिजनौर के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि वे अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देना नहीं चाहते हैं। चूंकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

(प्रशांत मित्तल)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-01,
बिजनौर।